प्रेषक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
आजमगढ़ ।

सेवामें,

प्रबन्धक
ई-ज्ञान पब्लिक प्राथमिक विद्यालय रोहुआ मुस्तफाबाद, ठेकमा
आजमगढ़ ।

पत्रांक आग्रु:/687-89 /2008-09 दिनांक 15-5-08

विषय:- विद्यालय को प्राइमरी पाठशाला की अस्थायी मान्यता प्रदान करने के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके विद्यालय के मान्यता आवेदन-पत्र पर सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/प्रति उ0बि0नि0/उप बेसिकशिक्षा अधिकारी/शिक्षा अधीक्षक नगर क्षेत्र आजमगढ़ की जाँच आख्या एवं संस्तुति के आधार पर जिला मान्यता समिति के विचारोपरान्त आपके विद्यालय को कक्षा 1 से कक्षा 5 तक प्राइमरी स्तर की अस्थायी मान्यता वर्ष 2007-08 से निम्नांकित प्रतिबन्धों के साथ प्रदान की जाती है। विद्यालय की अस्थायी मान्यता तब तक चलतीरहेगी जब तक कि स्थायी मान्यता की शर्तें पूर्ण करके स्थायी मान्यता प्राप्त नही कर लिया जाता। यदि भविष्य में आप द्वारा प्रस्तुत तथ्यों एवं अभिलेखों में जाँच करने पर किसी शर्तों में या अभिलेखों में त्रुटि/कमी/असत्यतापाई जाती है अथवा नियम निर्देशों का पालन नही किया जाता है तो प्रदत्त अस्थायी मान्यता समाप्त कर दी जायेगी, जिसके लिए आप स्वंय उत्तरदायी होगें ।

1-अस्थायी मान्यताकीनबीनीकरण कराये जाने की आवश्यकता नही होगी, किन्तु पाँच वर्ष में स्थायी मान्यता हेतु आवेदन-करना अनिवार्य होगा, तथा स्थायी मान्तया हेतु सभी शर्तों को पूर्ण करना आवश्यक अनिवार्य होगा ।
2-विद्यालय में सभी अध्यापक प्रशिक्षित एव मानक के अनुसार रखे जाय।
3-विद्यालय समिति पंजीकृत हो तथा उसका समय-2 पर नवीनीकरण कराया जाय।
4-विद्यालय सुरक्षित कोष में रू0-1000/-एवं प्रभूत कोष में रू0-2500/-जमा हो जो जिलाबेसिक शिक्षा अधिकारी आजमगढ़ के पदनाम में प्लेज हो ।
5-विद्यालय के पास आधा एकड़ भूमि हो जो विद्यालय के नाम से हो, तथा छात्र के हिसाब से सभी कक्षाओं के लिए उपयुक्त भवन हो, भूमि बिद्यालय के सटे हो तथा विद्यालय के पास प्रार्थना-स्थल पर्याप्त हो।
6-विद्यालय क्रीड़ा क्षेत्र हेतु 2000 वर्गमीटर भूमि हो, जो बिद्यालय के नाम से हो।
7-विद्यालय में विभाग द्वारा निर्धारित शुल्क लिया जाय तथा विद्यालय को किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति आर्थिक सहायता नही दी जायेगी ।
8-विद्यालय में विभाग द्वारा निर्धारित पाठ्यपुस्तकों का प्रयोग किया जाय तथा विभाग द्वारा समय-2 पर निर्गत/आदेश/नियमों का पालन किया जाय।
9-विद्यालय संचालित करने हेतु पर्याप्त वित्तीय व्यवस्था हो, तथा विद्यालय में सभी कक्षाओं के लिए पक्के कमरे बनवाये जाय।
10-विद्यालय में अध्यापकों को विभाग द्वारा मान्य वेतनक्रम दिया जाय।

भवदीय

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
आजमगढ़ ।

पृ0सं0आग्रु:/ /2008-09 उसी तिथि को।

प्रतिलिपि निम्नांकित अधिकारियों को सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
1-उप बेसिकशिक्षा अधिकारी, आजमगढ़ ।
2-जिला समाज कल्याण अधिकारी आजमगढ़ ।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
आजमगढ़ ।